न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 178/2023 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. उमा पत्नी हडवंतसिंह 2. गेनसिंह पुत्र सगतसिंह 3. गोविन्दसिंह पुत्र अजीतसिंह 4. दरिया पत्नी पाबूसिंह 5. रेखादेवी पत्नी भारमलसिंह 6. सगतसिंह पुत्र तगसिंह जाति पुरोहित, निवासी सरस्वती नगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री जेठाराम कुमावत।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 04.08.2023

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 89 रकबा 5.5199 हैक्टेयर मौजा लीकडी, तहसील शिव में आया हुआ है। जिसमें प्रार्थीगण के रहवासी ढाणी एवं मवेशियों के बाडे बने हुए है तथा प्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थी के आधिपत्य के खेत खसरा नम्बर 88 रकबा 9.6315 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता आगे सडक मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपने कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते हेतु घोषित भूमि की क्षतिपूर्ति/प्रतिकर राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध है।

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारों को नया रास्ता खोलने की जानकारी दी गई कि मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी तक नवीन रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नही है। प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 88 रकबा 9.6315 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन मगरा में से रकबा 0.2013 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। प्रस्तावित रास्ता निकटतम एंव लघुतम है एवं प्रस्तावित रास्ता की चौड़ाई 03 गट्ठा है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यातिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 88 में रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जो कि तहसीलदार के आधिपत्य का सरकारी खसरा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 88 रकबा 9.6315 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन मगरा में से रकबा 0.2013 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण की खातेदारी तक अन्य विकल्प नहीं होना बताया गया है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

लघुतम विकल्प है तथा उक्त रास्ता आगे सड़क मार्ग से जुड़ता है। प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 03 गट्ठा है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 89 रकबा 5.5199 हैक्टेयर मौजा लीकड़ी, पटवार मण्डल बालासर तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी के आधिपत्य के खेत खसरा नम्बर 88 रकबा 9. 6315 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन मगरा में से रकबा 0.2013 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने के आदेश किये जाकर तहसीलदार शिव को अमलदरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(Seal: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव, जिला-बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 04.08.2023 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner